

Book
पुस्तक

No. 001460

Receipt
रसीद

No. 073000

Form No. फार्म नं०

RECEIPT MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY, MEERUT

रसीद मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पता नं० 1357/05-D

Demand Register No. मांग रजिस्टर संख्या

Received From श्री सुनील मोहन शर्मा राधाशंकर

दि. 01/01/08 रा. 02/02/08 के अन्तर्गत भुगतान के लिए प्राप्त हुए।

Rupees (in words) रु० (शब्दों में) दस हजार चार सौ अठारह

on account of बाबत = दुई नं० उन्नाल्लेख नं० =

Premises No. गृह संख्या = 1065984 =

Charge 18655 =

for the Period अवधि = 1084639 =

in full/Part Payment of demand Bill No.

मांग बिल संख्या = 955 का पूर्ण/आंशिक भुगतान
Dated दिनांक = 02/02/08 प्राधिकरण अहमदाबाद मेरठ

Rs. रु० = 1084639 =

Dated दिनांक 02/02/08

Cashier कोषाध्यक्ष

Accountant/C.A.O.

लेखाकार/मु०ले०अ०

PRESIDENT / SECRETARY
RAMA SOCIAL REFORMS AND EDUCATIONAL SOCIETY

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 1375/05 / चार (मो नियंत्रण) 2000

दिनांक : 16-2-0

श्री/श्रीमती/मै० रामा सोशल रीफॉर्म एण्ड एजुकेशन

सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री सुनील मोहन शर्मा

अबुल्लापुर फैला परीक्षित गट रोड मेरठ

1375/05



आपके पत्र दिनांक

मानचित्र सं०

के संदर्भ में आपके

प्रस्तावित शैक्षिक

भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम

अबुल्लापुर

भूखण्ड/भवन सं०

पर निम्नलिखित

शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ० प्र० नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता

को प्रेषित।

PRESIDENT / SECRETARY
RAMA SOCIAL REFORMS AND EDUCATIONAL SOCIETY

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ



Dr. K. K. Sharma
Advocate

Dr. K. K. Sharma
Advocate

तल्लि-डीड १ किरायेनामा १ मियादी ३० वर्ष

स्टाम्प शुल्क:- १५००/- रुपये ।

जो की कन्सटिटेयुट आफ, क्वार्टर मोजेन्ट एण्ड टेल्फोनली सोसायटी द्वारा अत्यन्त
मदन मोहन शर्मा पुत्र स्व० श्री पं० सुजान सिंह निवासी १०३ आर्य नगर मुरज
कुण्ड रोड शहर मेरठ ----- फरीक अय्यल ।

व बामा सोशल रिफार्म्स एण्ड एजुकेशनल सोसायटी द्वारा अध्यक्ष श्री मुरीत मोहन
शर्मा पुत्र श्री सम० सम० शर्मा निवासी २२४ आर्य नगर मुरज कुण्ड रोड शहर
मेरठ ----- फरीक दोयम ।

जो की एक अहाता बमय चार दीवारी क्षेत्रा ५५०० पॉथ हजार पॉथ सौ
वर्गमीटर खाता नं० ३७ मिनगुले खसरा नं० १५५ स्थित ग्राम गब्तुलापुर परगना
य तहसील व जिला मेरठ मिल्कीयत फरीक अय्यल है कि जिसको फरीक दोयम ने
फरीक अय्यल से खीकराया अर्ज २००/- दो सौ रुपये माहवार या २४००/- दो



Rama Public School
President/Secretary

Rama Social Reforms & Educational Society
President/Secretary

President/Secretary

रामेश धामा
खण्ड शिक्षा अधिकारी
वि० से० परीक्षितगढ़ (मेरठ)

Rama Social Reforms & Educational Society
President/Secretary



-:2:-

हजार चार सौ रुपये सालाना बराबर मुदत 30 तीस वर्ष के लिये किराये पर ले ली है इस सिलसिले में जो शारायत फरीक के दरोगान तथा पानी के फरीक शारायत जल के पाबन्द होते है:-

1:- यही किरायेदारी फरीक दोयम की दिनांक 1-10-2003 ई 0 से शुरू हो चुकी

2:- यही किराया तमशुदा अंक 200/- दो सौ रुपये माहवार फरीक दोयम हर माह फरीक अद्वल को खरिये रसीद अदा व चेका करने का पाबन्द रोखा गुरुत अदम अदायेगी जरे किराया मुसलिसल तीन माह के फरीक अद्वल को अदतधार गुरुल बकाया जरे किराया व बेदखली फरीक दोयम जरिये अदालत मजाज मय खर्चा हर किस्म हासिल रहेगा ।

3:- यही फरीक दोयम अपने छर्चे से जरूरत के अनुसार आराजी मजकूर में तामीरात करा लेने का हकदार रहेगा । और अपना समस्त तामीरात स्थानीय निकाशो के अनुसार ही करा सकेगे ।

4:- यही फरीक दोयम तामीरात करने के बाद कैम्पशन नल व बिजली भी स्वयं ले सकेगा और बिजली बिजली व पानी व हाउसटेक्स का भुगतान समयानुसार फरीक दोयम करने का पाबन्द रहेगा ।

5:- यही फरीक दोयम उक्त सम्पत्ति को संस्था के इस्तेमाल में लायेगे अपनी जानिद से दीगर किसी शाख को बतौर शिक्मी या सवलेह नहीं करेगे खिलाफ वर्गी पर फरीक दोयम व मुन्तीवल झुह हर दो कारिबले सेदखली होंगे । और फरीक दोयम उक्त सम्पत्ति में केवल उन्ही उद्देश्यो और उप्लीब्धयो के लिये जिनका उल्लेखसंगति के उद्देश्यो में किया है करेगे अन्य कार्य में नहीं करेगे ।

INSTITUTE
& TECH

INSTITUTE
ED MANAGEMENT
SOCIETY, MEERUT.

President
Rama Social Reforms

Society

रामकेश धामा
खण्ड शिक्षा अधिकारी
वि० क्षेत्र पराक्षितगढ़ (मेरठ)

Rama Public School

President/Secretary

President / Secretary
Rama Social Reforms & Educational Society

211060 (26)

5002

Shri Anand
DEEPAK KUMAR
STAMP VENDOR
Registry Compound Meerut
LICENCE No-40
17-11-2003



11/11/2003
11/11/2003
(11/11/2003)

11/11/2003

11/11/2003



-:3:-

6:-यहाँक दोराने किरायेदारी सालिम सम्पत्ति मे खी इगारत की सफाई पुताई रंग व रिपेयर कराने की जिम्मेदारी फरीक दोयम की रहेगी ।

7:-यहाँक जिस वक्त भी फरीक दोयम उक्त सम्पत्ति को अपने-कब्जे किराये दारी से छोडेगे तो उसका क्ताई खाली का कब्जा फरीक अव्वल को ही सुपुर्द करेगे।

8:-यहाँक फरीक दोयम के द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति पर किये गये निर्माण के सम्बन्ध मे अगर कोई भी विभाग किसी प्रकार का शुल्क आदि जमा करायेगे तो उसको फरीक दोयम ही जमा करेगे ।

9:-यहाँक निर्माण के सम्बन्ध मे नक्शा स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी फरीक दोयम की रहेगी और जो भी खर्चा होगा उसको फरीक दोयम खुद अदा करेगे ।

10:-यहाँक इच्छतामे मियाद 30 वर्ष पर यह किरायेनामा उत्पन्न हो जायेगा और इस किरायेनामा के अन्तर्गत सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

11:-यहाँक जुमला शारायत की पाबन्दी लाजमी व जरूरी रहेगी लिहाजा यह किरायेनामा लिख दिदया कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आये। इति।

हददरबा उपरोक्त जायदाद व माप ।

पूरब :- सम्पत्ति फरीक अव्वल । माप-182.2 फिट ।

पश्चिम:- रास्ता आम । माप-182.2 फिट ।

उत्तर :- सम्पत्ति फरीक अव्वल । माप-325 फिट ।

दक्षिण :- भूमि फरीक अव्वल । माप-325 फिट ।

ATTESTED

INSTITUTE

INSTITUTE

Rama Social

NOTARY

32-11/03

गुलदीप कुमार 88 की फील्ड

Rama Public School

तहरीर तारीख:-

17.11.2003 ई 0 मसविदा ततीया फागुन 1424

President/Secretary

President/Secretary

Rama Social Reforms & Educational Society

रामकेश धामा

शिक्षा अधिकारी

विश्वेश्वरी परीक्षिताद (मेरठ)

68 साल 05 महीना 03

2013 मेरठ

220

211060 (20)

5002

क्रमांक :
नपद
ख

Annamo
DEEPAK KUMAR
STAMP VENDOR
Registry Compound Meerut
LICENCE No-40
17-11-2003



मात्रा दिनांक 18/11/03
सत्य प्रमाण 113
को पुस्तक 118
पर रजिस्ट्रार नेट प्रमाण 17464
- *Keel* -
रजिस्ट्रार नेट प्रमाण